



वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 14वीं बैठक में वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का अनुमोदन किया गया

Posted On: 19 MAY 2017 2:53PM by PIB Delhi

-
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 14वीं बैठक वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में कल श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुई। बैठक में वस्तुओं पर कर की दर की उपयुक्तता पर विचार किया गया। परिषद ने विभिन्न वस्तुओं पर मोटे तौर पर शून्य, 5%, 12%, 18% और 28% तक कर लगाने का अनुमोदन किया। परिषद ने विभिन्न वस्तुओं पर लगाए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की दरों का भी अनुमोदन किया।

जीएसटी परिषद के निर्णय के बाद संबद्ध जानकारी केन्द्रीय आबकारी और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यह जानकारी <http://www.cbec.gov.in> पर उपलब्ध है, जो पुनरीक्षण के अधीन है, जिसके आधार पर कुछ दरों में परिवर्तन हो सकते हैं।

जीएसटी की चेप्टर-वार दरें जानने के लिए अंग्रेजी रिलीज पर क्लिक करें :

Chapter-wise-rate-wise-GST-schedule-18.05.2017

(Release ID: 1490281) Visitor Counter : 39

